कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, अनुभाग–पुनासा, जिला खण्डवा,

क्रमांक /116/2018/एलए/2086

प्रति,

पुनासा, दिनांक / /2019

नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय
म.प्र. भोपाल

विषय :– भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 11 प्रारम्भिक अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन विषयक ।

––00––

राजस्व प्रकरण क्रमांक 2/अ.82/2018.19 में ग्राम जलकुआ तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी भूमि क्षेत्रफल 0.27 हेक्टर के भू–अर्जन हेतु, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक–30, सन् 2013) की धारा–11(1) के तहत कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग जिला खण्वा द्वारा हस्ताक्षरित प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– 02 प्रतियां।

(डॉ.ममता खेडे)
अनु–विभागीय अधिकारी (राजस्व),
एवं भूअर्जन अधिकारी, पुनासा,
जिला खण्डवा (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक /116/2018/एलए/2087

प्रतिलिपि :–

पुनासा, दिनांक / /2019

1– संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियॉ संलग्न कर इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2– कलेक्टर महोदय, (भू–अर्जन शाखा) जिला खण्डवा की ओर अधिसूचना की प्रति सह सादर प्रेषित।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।

4– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, पुनासा की ओर दो प्रति में सूचनार्थ एवं उनके सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

5– नायब तहसीलदार, मूंदी, की ओर 06 प्रतियॉ संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना फलक, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचनापटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित ।

6– कार्यपालन अभियंता(सिविल)साधारण संभाग–एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया की ओर सूचनार्थ।

7– जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

अनु–विभागीय अधिकारी (राजस्व),
एवं भूअर्जन अधिकारी, पुनासा,
जिला खण्डवा (म.प्र.)

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नस्ती कमाक 116/2018एलए

क्रमांक/ 1961 /भू–अर्जन/2019

खण्डवा, दिनांक 13/12/2019

//प्रारंभिक अधिससूचना//

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक–30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत]

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके व्दारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा–12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित पहुच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय–2(अ) की धारा–4 – सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है।

–: अनुसूची (1) :–

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खण्डवा	टप्पा– मूंदी तहसील पुनासा	जलकुआ	0.27 हे.	कार्यपालन अभियंता(सिविल) साधारण संभाग–एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया	श्री सिंगाजी थर्मल पावर की राखड बांध से भूमि प्रभावित होने के कारण भूमिस्वामी की मांग के राखड बांध के उपयोग में आने वाली निजी भूमि के अधिग्रहण के संबध में

–: अनुसूची (2) :–

श्री सिंगाजी थर्मल पावर राखड बांध प्रभावित भूमि निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत. ग्राम– जलकुआ की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
330/1	0.27
योग :– 1	0.27

नोटः– 1. भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता(सिविल)साधारण संभाग–एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

(तन्वी सुद्रियाल)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म0प्र0)